राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल–dir-pen-rj@nic.in , दूरभाष न. 0141–2740538,2741687
वेबसाईटः– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

कमांकः– निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21 1040–1074 **दिनांकः–** 01.11.21.

कोषाधिकारी
समस्त

विषयः– पेंशनर डाटा मिलान कर शुद्विकरण का कार्य पूर्ण करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है तथा प्रत्येक माह बैंक स्क्रॉल प्राप्त होने पर बैंको को पेंशन राशि का पुर्नभरण किया जाता है। यह ध्यान में लाया गया है कि पेंशनर्स के डाटा बैकों से मिलान नहीं किये जाने के कारण बैंको द्वारा पेंशनर्स को कम या अधिक भुगतान किया जा रहा है, जिससे पेंशनर्स को कम भुगतान की स्थिति में आर्थिक हानि हो रही है तथा अधिक भुगतान होने पर वसूली की समस्या रहती है। जिसका निराकरण कोषाधिकारी एवं बैंक के ऑकडो का मिलान कर पीसीआर रजिस्टर्ड को संशोधित किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा निकट भविष्य में पेंशन भुगतान का कार्य बैंको से वापिस लिये जाने की स्थिति में पेंशनर को कम या अधिक भुगतान होने पर समस्या का समाधान किया जाना कठिन होगा।

अतः कृपया बैंक एवं कोषालय के पेंशनर के रिकार्ड जैसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम, जन्म दिनांक, पेंशन/अतिरिक्त पेंशन की गणना/संशोधित अधिकृतियां का भुगतान आदि में Mismatch के कारणों का पता लगाकर दिनांक 12.11.2021 से पूर्व समाधान की व्यवस्था करावें तथा आवश्यक संशोधन कर Mismatch निराकरण करवाने की व्यवस्था करावें तथा कार्य पूर्ण कर निदेशक कोष एवं लेखा तथा इस विभाग को अवगत करावें।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

OSD/Sir/212